

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/  
प्रति,

319

भोपाल, दिनांक 4/8/2015

समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अधिकारी, मध्यप्रदेश।

**विषय:-** गोकुलदास हॉस्पिटल, इन्दौर को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय के अन्तर्गत जांच/उपचार की मान्यता समाप्त करने बाबत।

**संदर्भ:-** म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ-12 /32/14/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 26.11.2014

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है, कि गोकुलदास हॉस्पिटल, इन्दौर को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 9-02/2014/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 28.10.2014 को शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु मान्यता वृद्धि की गई थी। उक्त संस्था की मान्यता लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 9-02/2014/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 10.06.2015 द्वारा मान्यता समाप्त कर दी गई है।


अतः संदर्भित आदेश दिनांक 26.11.2014 द्वारा उक्त संस्था को राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय योजनान्तर्गत दी गई मान्यता समाप्त की जाती है।



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक / /2015

पृक्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, गोकुलदास हॉस्पिटल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.